(वाद सं0–1318/4/8/19)

19.04.2022

एक परिवादी, सूर्य नारायण चौबे, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादीगण, सूर्य नारायण चौबे व बिरेन्द्र ठाकुर, जो बाबा दास प्राथमिक विद्यालय, सिसवा, नुनिया टोला, में वर्ष–1993 से वर्ष–2002 तक शिक्षक के रूप में कार्यरत थें, को बाद में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विद्यालय से कार्य–मुक्त करने के विरूद्ध पुनः कार्य पर रखने तथा वर्ष–1993 से वर्ष–2002 तक उनके द्वारा किये गये कार्य के बकाया वेतन का भुगतान किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा पूर्व में समान आशय की एक रिट याचिका संख्या–22399/2014 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रतिवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी, के प्रतिवेदन का प्रतिवाद कर पुनः विद्यालय में योगदान कराने व बकाया मानदेय/वेतन का भुगतान कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन वह यह स्वीकार करते हैं कि समान आशय का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय से अस्वीकृत किया जा चुका है।

अब जबकि समान आशय का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पूर्व में ही निष्पादित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन (पृष्ठ 24–19/प0) के आलोक में संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक